न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना [illegible])

वाद संख्या :– 01 / 157 / 2016

1. रामसिंह पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी खोह तहसील राजगढ जिला अलवर ..... वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्दाज
उपस्थित:–श्री सुरेन्द्र माथुर एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

–:निर्णय:– दिनांक:– 7|3|2023

1. आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व तहसील राजगढ जिला अलवर में रियासत कानून लागू था तथा जमीदारी जागीरदारी विश्वेदारी प्रथा लागू थी। जिसके तहत भू–राजस्व रिकार्ड संधारित किया हुआ था। वादी भी जागीरदार जमीदार विश्वेदार था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर धारा 15, 18, 19, 20, 21 के तहत स्वयं खुदकाश्त की आराजी व जमीदारी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। वादी भू–प्रबंध सम्वत् 2010–14 की जमाबंदी के अनुसार आराजी ग्राम खोह तहसील राजगढ खसरा संख्या 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 1108, 1109, 1154, 1498, 1570, 1972, 1974, 1980, 1981 कुल किता 24 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा के स्वयं जोत धारक थे। खसरा संख्या 1497, 1114, 559, 975, 976, 977 किता 5 रकबा 06 बीघा, खसरा संख्या 1514, 1495, 1462, 1481, 1506 कुल 5 कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1126, 1840/1 खसरा संख्या 1549 किता 4 कुल रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1480/3, 1511 कुल किता 2 कुल रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 1465, 1479, 1483, 1486, 1487, 1488, 1493 कुल किता 7 कुल 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 406, 1102, 1406 किता 4 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1548 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 58 कुल रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा के मालिक काश्तकार जागीरदार है तथा 215 बीघा भूमि वादी के परिवार जनों के नाम दर्ज है। जिस पर वादी व उसके परिवारजनों का सदियों कब्जा है एवं उसी प्रकार काश्त करते चले आ रहे है तथा बाडा व खलिहान भी बनाये हुये है।

2. प्रकरण में सम्वत् 2020 में भू–प्रबंध विभाग के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व [illegible] बगैर ही भूमि खोह की आराजी खसरा संख्या 20, 23, 24, 29, 30, 73, 74, 75, 81, 120, 121, 122, 217,

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला– अलवर

376, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 588, 589, 590, 8756, 876, 892, 893, 895, 926, 927, 1145, 1106, 1221, 1590, 1591, 1593, 1594, 1596, 1773, 1729, 1925, 1941, 2139, 2141, 2142 कुल किता 43 कुल रकबा 892 बीघा 07 बिस्वा को चारागाह दर्ज कर दिया। भू-प्रबंध ने किसी को कोई नोटिस नही दिया तथा भूमि का मुआवजा भी नही दिया। भू-प्रबंध विभाग का यह कार्य गैर कानूनी व नियम विरूद्व है।

3. भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरा परिवर्तन किया गया तब खसरा संख्या 81 रकबा 166 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 893, 894 रकबा 11.93 है0 जो वादी के कब्जे व काश्त में है, को भी शामिल कर दिया है। जबकि इस आराजी पर वादीगण का परिवार सदियों से 100 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा है। अब उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

4. यह है कि उक्त वर्णित आराजी पर वादी काश्तकार कृषक है तथा लम्बे समय से काबिज होकर काश्तकार करता रहा है। बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया है। जबकि बंदोबस्त विभाग को रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नही है। अन्त में दावा वादी स्वीकार किया जाकर हाल खसरा संख्या 893, 894 रकबा 11.83 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ़ का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है तथा इसी कदर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये व उनके द्वारा जवाब व साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात पेश किये गये जो इस प्रकार है-

1. *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व तहसील राजगढ़ में अलवर रियासत का कानून लागू था तथा जमींदारी बिस्वेदारी प्रथा लागू थी। जिसके तहत भू-राजस्व रिकार्ड संधारित था। राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये थे।*
2. *वादी का यह कथन गलत है कि वह भू-प्रबंध से पूर्व सम्वत् 2010-2014 की जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा संख्या 950, 952, 953, 954, 955, 957, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 1108, 1109, 1154, 1498, 1570, 1972, उ1974, 1980, 1981 किता 24 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1497, 1114, 559, 975, 976, 977 किता 4 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1482, 1485, 1463, 1496 किता 4 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1514, 1495, 1462, 1481, 1506 किता 5 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 1126, 1480/1, 1549 किता 4 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1480/3, 1511 किता 2 रकबा 02 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1465, 1479, 1483, 1486, 1487, 1488, 1493 किता 7 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 406, 1102, 1103, 1406 किता 4 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1548 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 58 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा के स्वयं जोत धारक मालिक काश्तकार जागीरदार है।*
3. *क्योंकि वादी व उसके पूर्वज वाद पत्र में वर्णित आराजी का जोत धारक अथवा खुदकाश्त नही रहे है। जमाबंदी खतौनी ग्राम खोह तहसील राजगढ़ सम्वत् 2010-2014 के कॉलम संख्या 05 जो कि नाम कृषक विवरण सहित और कृ...*

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला- अलवर

का कॉलम होता है। उसमें इनका नाम अंकित नही होकर मकबूजे मालकान दर्ज रिकार्ड है और भूमि की किस्म बंजड कदीम दर्ज है। मकबूजे मालकान का अर्थ खुदकाश्त नही होता है। खुदकाश्त भूमि का अर्थ उस भूमि से है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं काश्त की जाती हो एवं उसका लगान राज सरकार को भुगतान किया जाता हो। मकबूजे मालकान भूमि खुदकाश्त की श्रेणी में नही आकर सरकारी भूमि की श्रेणी में आती है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के अन्तिम पैरा 8(2) में अंकित हाल खसरा नम्बरान 862/8.02, 864/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40, 891/4.45, 892/1.44, 893/7.70, 894/4.25 कुल किता 12 रकबा 41.77 है0 वाके ग्राम खोह बाबत् अनुतोष की सही स्थिति राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अनुसार सम्वत् 2046 से पूर्व खसरा नम्बर 81 रकबा 166 बीघा 16 बिस्वा है तथा सम्वत् 2020 से पूर्व खसरा संख्या 2095 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, 2096 रकबा 148 बीघा 13 बिस्वा थे। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी का वाद पत्र का पैरा संख्या 02 कतई गलत है और जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 के आधार कथित नम्बरो का हाल खसरा नम्बरों से कोई संबंध व सरोकार नही है।

4. वाद पत्र का पैरा संख्या 3 गलत होने के कारण स्वीकार नही है। राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में माह नवम्बर 1959 को प्रवृत किया गया था, उस वक्त यदि वादी या उसके पूर्वज वाद पत्र में वर्णित आराजी के खुदकाश्त होते तो उन्हे राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 29 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होते। उक्त अधिनियम की जमाबंदी सम्वत् 2014–2017 के कॉलम संख्या 5 में कृषक के विवरण में मकबूजे मालकान दर्ज रिकार्ड है और गिरदावरी सम्वत् 2015–2018 में लगातार किसी प्रकार की काश्त नही है। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी या उसके पूर्वज उक्त वर्णित भूमि खुदकाश्त नही रहे है बल्कि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्वत् 2020 तक मकबूजे मालकान दर्ज रिकार्ड रही है। जिसका अर्थ यह नही है कि भूमि खुदकाश्त की हो बल्कि सरकारी भूमि रही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध सम्वत् 2020 में मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 2095 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, 2096 रकबा 148 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 166 बीघा 16 बिस्वा किस्म बंजड कदीम के सम्वत् 2020 के भू–प्रबंध में खसरा संख्या 81 रकबा 166 बीघा स16 बिस्वा का रिकार्ड अनुसार सही बनाया गया है और मकबूजे मालकान भूमि अर्थात् सरकार भूमि की किस्म चारागाह सही दर्ज किया गया है। भू–प्रबंध विभाग का उक्त कार्य गैर कानूनी व नियम विरूद्व नही है।

5. इस प्रकार भू–प्रबंध सम्वत् 2046 में गत खसरा संख्या 81 रकबा 166 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा संख्या 862/8.02, 884/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40 891/4.45, 892/1.44, 893/7.68, 894/4.25 है0 वाके ग्राम खोह कायम किये गये है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र जो खसरा संख्या अंकित किये गये है उनमें से 864/1.84 है0 गत खसरा संख्या 81 से नही बना है। वादी का यह कथन स्वीकार नही है कि वादी व उसके परिवार के सदस्य बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला– अलवर

सरकारी भूमि को सही चारागाह दर्ज किया गया है, चूंकि मकबूजे मालकान भूमि आज की भूमियों यथा कॉमन लैण्ड चारागाह के तुल्य थी। उक्त आराजी पूर्व से सरकार बंजड कदीम सम्वत् 2020 से चारागाह व हाल रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है, वादी मात्र राजस्व न्यायालय नायबतहसीलदार टहला के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय दिनांक 27.02.2015 से बेदखली के आदेश से बचने के लिए बिना तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि का कोई गलत इन्द्राज नही है, अतिक्रमी काबिले बेदखल है।

6. वादी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिस पर राज्य सरकार का पूर्ण हक वो अधिकार है। चारागाह भूमि राजकीय सरकार भूमि होने से वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति का प्रश्न मौजूद नही है।

7. वाद पत्र का पैरा संख्या 8 बाबत् अनुतोष है जिसके संबंध में यह है कि विवादित भूमि राजस्व दस्तावेजो में चारागाह के रूप में दर्ज है और पशुओ के चराई के काम आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमणो को अवैध माना जाने एवं अतिक्रमणो को हटवाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण जगपाल बनाम पंजाब सरकार में विस्तृत निर्देश पारित किये जाकर राज सरकार को पालना हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों पर अतिक्रमण को लेकर प्रकरण डी.बी.सि.रिट पिटीसन (पी.आई.एल) नम्बर 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीना व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में तत्तकाल अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रदान किये हुये है। विवादित भूमि दस्तावेजो में चारागाह/मकबूजे मालकान दर्ज रिकार्ड होने से ना तो नियमन किया जा सकता ना ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। जिससे वाद पत्र में वर्णित आराजी राजस्व दस्तावेजो में मकबूजा मालकान/चारागाह होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता और ना ही किसी प्रकार के इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकार प्राप्त कर सकता है। वादी अपने वाद पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

6. प्रकरण में वादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये है जो इस प्रकार है-

1. *शपथ-पत्र इन्द्रजीत सिंह*
2. *शपथ-पत्र मायोसिंह*
3. *शपथ-पत्र राजकुमार*

– मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 प्रदर्श-1

–जमाबंदी सम्वत् 2046-2065 प्रदर्श-2

–मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 प्रदर्श-3

–जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम खोह प्रदर्श-4

– जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम खोह प्रदर्श-5

–जमाबंदी सम्वत् 2020 प्रदर्श-6

–जमाबंदी सम्वत् 2010-2014 प्रदर्श-7

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–8

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–9

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–10

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–11

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–12

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–13

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–14

–जमाबंदी सम्वत् 2010–2014 प्रदर्श–15

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–16

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–17

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–18

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–19

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–20

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–21

–जमाबंदी सम्वत् 2011–2014 प्रदर्श–22

–नकल वसीयतनामा दिनांक 24.12.2019 प्रदर्श–30

–नकल लिगल नोटिस प्रदर्श–31

7. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत होने की दशा में तनकीयात कायम करके सुनाई गई।

1. *आया वादी गत खसरा संख्या 81 रकबा 166 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ़ के मुताबिक हाल खसरा संख्या 862/8.02, 884/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40 891/4.45, 892/1.44, 893/7.68, 894/4.25 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ़ जो चारागाह दर्ज है उस इन्द्राज को हजफ किया जाकर वादी खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। –वादी*
2. *आया वादी उक्त वर्णित आराजी के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। –वादी*
3. *अन्य दादरसी। –उभय पक्षकारान*

8 प्रकरण में वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहंस वादी की ओर दावे के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 862/8.02, 864/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40, 891/4.45, 892/1.44, 893/7.70, 894/4.25 कुल किता 12 रकबा 41.77 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ़ (वर्तमान तहसील टहला) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है तथा इसी कदर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में दौरान–ए–बहस प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये उल्लेख किया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र जो खसरा संख्या अंकित किये गये है उनमें से 864/1.84 है0 गत खसरा सख्या 81 से नही बना है। वादी का यह कथन स्वीकार नही है कि वादी व उसके परिवार के सदस्य बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी भूमि को सही चारागाह दर्ज किया गया है, चूंकि मकबूजे मालकान भूमि आज की भूमियों यथा कॉमन लैण्ड चारागाह के

तुल्य थी। उक्त आराजी पूर्व से सरकार बंजड कदीम सम्वत 2020 से चारागाह व हाल रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है. वादी मात्र राजस्व न्यायालय नायबतहसीलदार टहला के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय दिनांक 27.02.2015 से बेदखली के आदेश से बचने के लिए बिना तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि का कोई गलत इन्द्राज नही है. अतिक्रमी काबिले बेदखल है।

10. प्रकरण में तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार है कि–

<u>तनकी संख्या–01</u>:– आया वादी गत खसरा संख्या 81 रकबा 166 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ के मुताबिक हाल खसरा संख्या 882/8.02, 884/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40 891/4.45, 892/1.44, 893/7.68, 894/4.25 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ जो चारागाह दर्ज है उस इन्द्राज को हजफ किया जाकर वादी खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जो इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी पर वादी काश्तकार कृषक है तथा लम्बे समय से काबिज होकर काश्तकार करता रहा है। बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन किया गया है जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया है। जबकि बंदोबस्त विभाग को रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नही है।

11. प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 का उद्धरण यहा प्रासंगिक प्रतीत होता है–

> ***88. Suits for declaration of right***— *(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
>
> *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
>
> *(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.*
>
> *(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.*

12. उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत अपना प्रकरण साबित करना अनिवार्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***<u>15. Khatedar tenants</u>***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and*

Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

Provided *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

13 धारा–15 के उद्धरण से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार धारा 15 मे उल्लेखित स्थितियों मे ही प्राप्त किये जा सकते है। वर्तमान प्रकरण मे वादीगण द्वारा कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रथम वादीगण का पूर्वज राजस्व रिकॉर्ड मे जागीरदार काश्तकार दर्ज रहा है।

14. उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अपना प्रकरण साबित करना अनिवार्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 उद्धरण इस प्रकार है–

16. Land in which Khatedari rights shall not accrue—
Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in

(i) pasture land;

(ii) land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

(iii) land covered by water and used for the purpose of growing Singhara or other like produce;

(iv) land under shifting or unstable cultivation;

(v) land comprised in gardens owned and maintained by the State Governments;

(vi) land acquired or held for a public purpose or a work of public utility;

(vii) land which, at the commencement of this Act or at any time thereafter, is set apart for military encamping grounds;

(viii) land situated within the limits of cantonment;

(ix) land included within railway or canal boundaries;

(x) land within the boundaries of any Government forest;

(xi) municipal trenching grounds;

(xii) land held or acquired by educational institutions for purposes of instruction in agriculture or for play- ground; and

(xiii) land within the boundaries of a Government agricultural or grass farm;

(xiv) land which has been set apart or is, in the opinion of the Collector, necessary for flow of water thereon in to any reservoir or tanka for drinking water for a village or for surrounding villages:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette declare that any land which is under shifting or unstable cultivation, shall cease to be a land for such cultivation and thereupon such land shall be available for the grant of Khatedari rights and the State Government may by a like notification, declare that any land which was not at the commencement of this Act under shifting or unstable cultivation shall at any time after such commencement be under such cultivation from such date as may be specified in the notification and thereupon such land shall be available for such cultivation.

15. उपरोक्त उद्धरण के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। इन आधारों पर भी वादीगण का प्रकरण साबित नही होता है।

16. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत 12 वर्षो से अधिक विपरीत कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों के पर्यवसान उपरान्त खातेदारी अधिकार वादीगण को प्राप्त हो जाते है।

17. वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना चाहते है। यहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 का उद्धरण प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:-

> **63. Tenancy when extinguished**— *(1) The interest of tenant in his holding or a part thereof, as the case may be, shall be extinguished*
>
> *(i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act:*
>
> *(ii) when he surrenders or abandons it in accordance with the provisions of this Act:*
>
> *(iii) when his land has been acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. I of 1894)*
>
> *(iv) when he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation:*
>
> *(v) when he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act.*
>
> *(vi) when he acquires or succeeds to all the rights therein of a landholder or the landholder inherits or otherwise acquires the same.*
>
> *(vii) when he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act, or*
>
> *(viii) if he migrates from India to a foreign -country without obtaining a valid passport or without lawful authority:*
>
> *(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of they Rajasthan Land Revenue-Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.*
>
> **Explanation**-*For the purpose of clause (viii) a tenant who moves or enters into a foreign country without obtaining a valid passport under the India Passport Act, 1920 (Central Act No. 34 of 1920) or without a lawful authority shall be presumed to have migrated from India to a foreign country.*
>
> *(2) The extinction of the interest of a tenant shall operate to extinguish the interest of any sub-tenant holding under him.*

Provided that in every case not being a case specified in clause (iii) of sub-section (1), such -sub-section shall unless he himself has also been ejected or has become or is liable to ejectment under any provision of this Act or any other law for the time being in force or unless he shall hal e been admitted to his holding otherwise than in accordance with law, have the right to apply for the acquisition of his right of his tenant-in-chief in such holding and in the improvements therein on payment of compensation determinable in accordance-with sections 23, 24 and 25.

18. विपरीत कब्जे के सम्बंध में न्यायिक दृष्टान्त **Tara & Ors. vs State Of Rajasthan & Anr.** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

Question No.(iv) Whether any person can acquire right by adverse possession in the lands of aforesaid nature against the holder?

34. There is no provision in the Jagirs Act of 1952 or in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for conferment of khatedari rights by adverse possession. Once the land is resumed by the State Government under the Jagirs Act of 1952, it vests in the State Government. No person can claim rights by adverse possession against the State Government nor the provisions of Section 27 of the Limitation Act will apply to the Rajasthan Tenancy Act, 1955 as the Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides the limitation for filing a suit for possession against the trespasser. In Dindayal & anr. V/s Rajaram (AIR 1970 SC 1019), the Supreme Court considered the question of acquisition of rights in the tenancy under the CP Tenancy Act, 1920 by adverse possession. It was held that it is one thing to say that a tenant who who was in possession of the tenancy holding at the time of dispossession had lost his rights in the holding but it is another thing to say that a trespasser had become the tenant of that holding at the end of the prescribed period. The CP Tenancy Act is a Special Act. It only governs those matters for which provisions are made therein. In other respects the general law continues to apply. Where the Act provides for a limitation for filing a suit for possession, the question of adverse possession does not arise. It was held in paragraph 13 as follows:-

"13. Further it is one thing to say that a tenant who was in possession of the tenancy holding at the time of dispossession had lost his rights in the holding but it is another thing to say that a trespasser had become the tenant of that holding at the end of the prescribed period. It must be remembered that C.P. Tenancy Act is a special Act. It only governs those matters for which provisions is made therein. In other respects the general law continues to apply. The Act does not say that a tenant's right

in respect of any property can be acquired by adverse possession. We do not think that the provisions of the Act enabled (The Act has been repealed) a trespasser to impose himself as a tenant on the landlord by means of adverse possession of the holding as against the tenant of a period of three years. Similarly it is not possible to hold that a tenancy right could have been acquired in a holding so as to affect the rights of third parties by being in wrongful possession of that holding for a period of three years. If it is otherwise, valuable rights of third parties could have been jeopardized for no fault of theirs. Take the case of a widow, who was in possession of a tenancy holding. The prospective reversioners to her husband's estate would have had no right in that holding during her life time. Is it reasonable to hold that the reversioners would have lost his rights in the holding even before he acquired them because some one was in possession of that holding adversely to the widow for a period of thee years? That would not have been the position even under Article 144 of the Limitation Act, 1908. It could not be different under the Act. A right cannot be barred even before it accrues. The fact that the tenant dispossessed happened to become the reversioner on the death of the widow cannot make any difference in law."

35. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides the limitation for bringing an action for dispossession and thus, the principle of law relating to adverse possession and the action to be brought within the period specified in Section 27 of the Limitation Act will not apply to the khatedars under the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

36. We, therefore, decide the question no.(iv) in favour of the State and hold that no person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars. The limitation applicable under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limitation Act will not apply for claiming adverse possession on such lands. Question No.(v)-Whether any time limit can be fixed for reference u/s 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and u/s.232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity). If so, to what extent?"

19. इसी प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर की फुलबेंच द्वारा प्रकरण 2011(2) आर0आर0डी0 721 उनवान जगदीश बनाम सीताराम में दिये गये निर्णय दिनांक 03.06.2011 के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है–

77- In view of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the questions riased by the referring D.B. in the following manner:-

(1) hather the Larger Bench in its judgment 'Bagga vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has laid down a good law by providing for conferment/acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-à-vis the provision of the RajasthanTenancy Act of 1955 as measure of land reform?

Answer:- In the view of this bench the Larger Bench inits judgment 'Bagga vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any povisionto confere tenancy rights to the adverse possessor. This benchalso infers that providingtenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferement of tenancy rights is against the basic spirit of this speial legislation.

(2) Whether extinguishment of tenancy right under Section 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in rrespasser on the basis of adverse possession?

Answer:- In the option of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession.

(3) Whether the Board of revenue has legislative power to lay down a new lawfor grant of khatedari right in addition to an over the Larger Benchof this Court in 1991 RRD page 1?

Answer:- In the opnion this benchthe Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether thejudgment of the Larger Bench as reported in 1991 RRD page 1 should be revoked. Annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Superme court of India as reported in RLW 2008(1) RJ page 1101.

Answer:- In the opinion of this bench the judgmentof larger bench in Bagga vs, Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

20. इसी प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर की फुलबेंच द्वारा विपरित कब्जे के संबंध में दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है–

> *The answers to the questions referredfor our eciosion are being thus summarized as under:-*
>
> *Question No. (i):-Is the Full Bench decision reported at 2011 RRD page 508 applicable in cases where khatedari rights have been conferred under the Larger Bench decision in 1991 RRD page 1 but proceedings inappellate courts are pending?*
>
> *Answer:- In the pending appeals, the appellate courts are required to take into account and give effect to the law laid down by Full Bench of this Board in Sitram's case, notwithstanding the fact that khatedari rights have been conferred by the Subordinate Courts under the Larger Bench Judgment rendered in Bagga's Case,*

Question No.(ii) If so, can settled khatadri rights conferred in pursuance of 1991 RRD page 1 under Section 63 (iv) in cases where a khatedar tenant has been deprived of his possession and his rights to recover possession barred by limitation be deprived by the 2011 RRD page 508 judgment?

Answer:- The case which have attained finality are not liable to be reopned, even though a khatedar has been deprived of his khatedari rights in pursuance to the decision given in Bagga's case and his right to recover possession stands barred by limitation as well, and in such cases, the law laid down in Sitaram's case would not come to rescue such a khatedar tenant.

Question No.(iii):- What is the applicability of section 183 RT Act in cases of permissive possession? When does a trespasser in permissive possession of any land turn into a trespasser liable for ejectment u/s 183 Rajasthan Tenancy Act, 1955?

Answer:- Section 183 of the Rajasthan Tenancy Act is not applicable in the cases of permissive possession. A person in permissive possession of any land turns into a trespasser liable for ejectment under section 183 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 only when he starts asserting his open, adverse and hostile title to the knowldege of the khatedar tenant.

21. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। इन आधारों पर भी वादीगण का प्रकरण साबित नहीं होता है।

22. किसी व्यक्ति को विपरीत कब्जे के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हो सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01 को वादी के पक्ष में स्वीकारना उचित प्रतीत नही होता है। अतः तनकी संख्या 01 अस्वीकार की जाती है।

23. इसी प्रकार में तनकी संख्या 02 यह है कि आया वादी उक्त वर्णित आराजी के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जो इस प्रकार है किसी व्यक्ति को विपरीत कब्जे के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हो सकते है। इस बाबत् की वादीगण घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यहां यह भी स्पष्ट है कि उक्त वर्णित आराजी पर वादी व उसके परिवार के सदस्य बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी भूमि को सही चारागाह दर्ज किया गया है, चूंकि मकबूजे मालकान भूमि आज की भूमियों यथा कॉमन लैण्ड चारागाह के तुल्य थी। उक्त आराजी पूर्व से सरकार बंजड़ कदीम सम्वत् 2020 से चारागाह व हाल रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है, वादी मात्र राजस्व न्यायालय नायबतहसीलदार टहला के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय दिनांक 27.02.2015 से बेदखली के आदेश से बचने के लिए बिना तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिस पर राज्य सरकार का पूर्व हक वो अधिकार है। चारागाह भूमि राजकीय सरकार भूमि होने से वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति का प्रश्न मौजूद नही है। अतः तनकी संख्या 02 अस्वीकार की जाती है।

24. इस बाबत् की वादीगण घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वादीगण का प्रकरण बाबत् इस्तकरारहकक अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला- अलवर

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 आराजी खसरा संख्या 862/8.02, 884/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40 891/4.45, 892/1.44, 893/7.68, 894/4.25 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर साबित नही होने पर खारिज किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 3/3/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना आरएएस)

वाद संख्या :– 01/157/2016

1. रामसिंह पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी खोह तहसील राजगढ जिला अलवर — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर

...प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थित:–श्री सुरेन्द्र माथुर एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

–:पर्चा डिक्री:–

दिनांक:– 7/2/2023

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 आराजी खसरा संख्या 862/8.02, 884/1.84, 885/7.65, 886/1.54, 887/0.61, 888/1.02, 889/1.85, 890/1.40 891/4.45, 892/1.44, 893/7.68, 894/4.25 है0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर साबित नही होने पर खारिज किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
पर्चा डिक्री आज दिनांक.....7/3/2023..... को तैयार की गई।

(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला– अलवर